दिनांक 22.08.2026
प्रेस विज्ञप्ति 442/2026

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।

जनपद फिरोजाबाद/थाना नारखी

- **पुलिस कार्यवाही में 25–25 हजार रूपये के 02 पुरस्कार घोषित अभियुक्त सहित 03 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **चोरी की पीली–सफेद धातु के आभूषण**
- **10 हजार 500 रूपये नगद**
- **घटना में प्रयुक्त मोटर साइकिल**
- **02 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस बरामद**

दिनांक 21.08.2026 को थाना नारखी, थाना मक्खनपुर व एसओजी की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर जलेसर पुल सर्विस रोड पर बदमाशों की घेराबन्दी की गयी तो बदमाशों ने पुलिस टीम पर जान से मारने की नियत से फायरिंग कर दी। पुलिस टीम द्वारा की गयी आत्मरक्षार्थ कार्यवाही में 02 अभियुक्त 1–अनुज उर्फ अनूप उर्फ मोटा 2–मिथुन घायल हो गये, जिन्हें अभियुक्त 3–अंशू सहित गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से चोरी की पीली–सफेद धातु के आभूषण, 10 हजार 500 रूपये नगद, घटना में प्रयुक्त मोटर साइकिल, 02 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस बरामद हुये। घायलों को उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त अनुज उर्फ अनूप उर्फ मोटा व मिथुन जनपद फिरोजाबाद से वांछित चल रहे थे, जिनकी गिरफ्तारी हेतु जनपद स्तर से 25–25 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित था। गिरफ्तार अभियुक्त अनुज उर्फ अनूप उर्फ मोटा के विरूद्ध जनपद मैनपुरी, फतेहगढ़ व फिरोजाबाद के विभिन्न थानों पर चोरी, लूट, हत्या का प्रयास, धोखाधड़ी, आर्म्स एक्ट, गैंगेस्टर एक्ट आदि के 37 अभियोग व अभियुक्त मिथुन के विरूद्ध जनपद मैनपुरी, फिरोजाबाद के विभिन्न थानों पर चोरी, आर्म्स एक्ट आदि के 09 अभियोग पंजीकृत हैं।

इस सम्बन्ध में थाना नारखी पुलिस द्वारा अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

<u>गिरफ्तार अभियुक्त</u>

1–अनुज उर्फ अनूप उर्फ मोटा निवासी ग्राम केरावली थाना करहल जनपद मैनपुरी हालपता–अनुपम सिटी फेस–02 वायु विहार थाना सिकन्दरा, आगरा।

2–मिथुन निवासी ग्राम केरावली थाना करहल जनपद मैनपुरी।

3–अंशू निवासी ग्राम केरावली थाना करहल जनपद मैनपुरी।

<u>बरामदगी</u>

1–चोरी की पीली–सफेद धातु के आभूषण।

2–10 हजार 500 रूपये नगद।

3–घटना में प्रयुक्त मोटर साइकिल।

4–02 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस।

<u>जनपद हापुड़/थाना हापुड़ देहात</u>

- **पुलिस कार्यवाही में 25–25 हजार रूपये के 03 पुरस्कार घोषित अभियुक्त गिरफ्तार**
- **घटना में प्रयुक्त वैगन आर कार**
- **01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस आदि बरामद**

दिनांक 21.08.2026 को थाना हापुड़ देहात पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर पुलिस कार्यवाही में अभियुक्त 1–प्रदीप घायल हो गया, जिसे अभियुक्त 2–अमित 3–कुलदीप सहित गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से घटना में प्रयुक्त वैगन आर कार, 01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस आदि बरामद हुये। घायल को उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त थाना हापुड़ देहात पर पंजीकृत अभियोग में वांछित चल रहे थे, जिनकी गिरफ्तारी हेतु जनपद स्तर से 25–25 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित था।

इस सम्बन्ध में थाना हापुड़ देहात पुलिस द्वारा अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1—प्रदीप निवासी मोहम्मदपुर आजमपुर थाना बाबूगढ़ जनपद हापुड़।

2—अमित निवासी मोहम्मदपुर आजमपुर थाना बाबूगढ़ जनपद हापुड़।

3—कुलदीप निवासी मोहम्मदपुर आजमपुर थाना बाबूगढ़ जनपद हापुड़।

बरामदगी

1—घटना में प्रयुक्त वैगन आर कार।

2—01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस आदि।

जनपद मुजफ्फरनगर/थाना मीरापुर

- **पुलिस कार्यवाही में 25 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित अभियुक्त गिरफ्तार**
- **01 मोटर साइकिल (बिना नम्बर)**
- **01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस बरामद**

दिनांक 21.08.2026 को थाना मीरापुर पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर थाना क्षेत्र में चेकिंग के दौरान मोटर साइकिल सवार बदमाश को रोकने का प्रयास किया गया तो बदमाश पुलिस टीम पर जान से मारने की नियत से फायरिंग कर दी। पुलिस टीम द्वारा की गयी आत्मरक्षार्थ कार्यवाही में अभियुक्त जाफर अली घायल हो गया, जिसे गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे/निशादेही से 01 मोटर साइकिल (बिना नम्बर), 01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस बरामद हुये। घायल को उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त थाना क्रासिंग रिपब्लिक, गाजियाबाद पर पंजीकृत अभियोग में वांछित चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी हेतु कमिश्नरेट गाजियाबाद से 25 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित था। गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म का अपराधी है, जिसके विरूद्ध जनपद मेरठ, मुजफ्फरनगर, कमिश्नरेट गाजियाबाद व छत्तीसगढ़ प्रान्त के विभिन्न थानों पर लूट, चोरी, हत्या का प्रयास, आर्म्स एक्ट आदि के आधा दर्जन अभियोग पंजीकृत हैं।

इस सम्बन्ध में थाना मीरापुर पुलिस द्वारा अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

<u>गिरफ्तार अभियुक्त</u>

1—जाफर अली निवासी ग्राम असीफाबाद थाना किला परीक्षितगढ़ जनपद मेरठ।

<u>बरामदगी</u>

1—01 मोटर साइकिल (बिना नम्बर)।

2—01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोख कारतूस।

<u>जनपद सोनभद्र/थाना बभनी</u>

- **25 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित अभियुक्त गिरफ्तार**
- **01 मोबाइल फोन**
- **1050 रूपये नगद आदि बरामद**

दिनांक 21.08.2026 को थाना बभनी व साइबर थाना सोनभद्र की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर पुरस्कार घोषित अभियुक्त वारिस खान को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे/निशादेही से 01 मोबाइल फोन, 1050 रूपये नगद आदि बरामद हुये।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त थाना बीजपुर पर पंजीकृत अभियोग में वांछित चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी हेतु जनपद स्तर से 25 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित था।

इस सम्बन्ध में थाना बभनी पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

<u>गिरफ्तार अभियुक्त</u>

1—वारिस खान निवासी ग्राम पड़ासला थाना किशनगढ़बास जनपद खैरतल ल्जिारा, राजस्थान।

<u>बरामदगी</u>

1—01 मोबाइल फोन।

2—1050 रूपये नगद आदि।

जनपद श्रावस्ती/थाना मल्हीपुर

- **02 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **लगभग 20 लाख 55 हजार रूपये (अन्तर्राष्ट्रीय कीमत) के 102.75 ग्राम अवैध स्मैक**
- **01 मोबाइल फोन**
- **01 मोटर साइकिल बरामद**

दिनांक 22.08.2026 को थाना मल्हीपुर व एसएसबी की संयुक्त टीम द्वारा सूचना के आधार पर ग्राम बेलरी के समीप खड़ंजा मार्ग से 02 अभियुक्तों 1—वाजिद अली 2—आबिद अली को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से लगभग 20 लाख 55 हजार रूपये (अन्तर्राष्ट्रीय कीमत) के 102.75 ग्राम अवैध स्मैक, 01 मोबाइल फोन, 01 मोटर साइकिल बरामद हुयी।

इस सम्बन्ध में थाना मल्हीपुर पुलिस द्वारा अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1—वाजिद अली निवासी सागर गांव थाना मल्हीपुर जनपद श्रावस्ती।

2—आबिद अली निवासी सागर गांव थाना मल्हीपुर जनपद श्रावस्ती।

बरामदगी

1—लगभग 20 लाख 55 हजार रूपये (अन्तर्राष्ट्रीय कीमत) के 102.75 ग्राम अवैध स्मैक।

2—01 मोबाइल फोन।

3—01 मोटर साइकिल।

जनपद बरेली/थाना देवरनिया

- **02 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **चोरी 05 मोटर साइकिल**
- **2110/—रूपये नगद**
- **01 मोबाइल फोन आदि बरामद**

दिनांक 22.08.2026 को थाना देवरनिया पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर थाना क्षेत्र से 02 अभियुक्तों 1—फुरकान 2—छोटे को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार

अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से चोरी 05 मोटर साइकिल, 2110/–रूपये नगद, 01 मोबाइल फोन आदि बरामद हुये।

इस सम्बन्ध में थाना देवरनिया पुलिस द्वारा अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–फुरकान निवासी मोहल्ला शाहूकारा थाना बिलासपुर जनपद रामपुर।

2–छोटे निवासी मोहल्ला शेखूपूरा थाना व कस्बा शीशगढ़ जनपद बरेली।

बरामदगी

1–चोरी 05 मोटर साइकिल।

2–2110/–रूपये नगद।

3–01 मोबाइल फोन आदि।

जनपद शाहजहांपुर/थाना कटरा

- **01 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **लगभग 01 लाख 50 हजार रूपये (अन्तर्राष्ट्रीय कीमत) के 430 ग्राम अवैध अफीम**
- **01 मोबाइल फोन**
- **01 कार बरामद**

दिनांक 21.08.2026 की रात्रि थाना कटरा पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर हुलास नंगला पुल के पास से अभियुक्त आकाश को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे/निशादेही से लगभग 01 लाख 50 हजार रूपये (अन्तर्राष्ट्रीय कीमत) के 430 ग्राम अवैध अफीम, 01 मोबाइल फोन, 01 कार बरामद हुये।

इस सम्बन्ध में थाना कटरा पुलिस द्वारा अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–आकाश निवासी धर्मपुर बिहारीपुर थाना बिसौली जनपद बदायूं।

बरामदगी

1–लगभग 01 लाख 50 हजार रूपये (अन्तर्राष्ट्रीय कीमत) के 430 ग्राम अवैध अफीम।

2–01 मोबाइल फोन।

3–01 कार।

- **जनपद बहराइच/थाना हरदी (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को आजीवन कारावास की सजा व 01 लाख 02 हजार रूपये अर्थदण्ड)**

जनपद बहराइच पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद बहराइच द्वारा थाना हरदी पर पंजीकृत अभियोग में धारा 302/506 भादवि के अन्तर्गत अभियुक्त अंगद उर्फ करूणेश को आजीवन कारावास व 01 लाख 02 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- **जनपद एटा/थाना सकीट (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा 03 अभियुक्तों को सश्रम आजीवन कारावास की सजा व 50–50 हजार रूपये अर्थदण्ड)**

जनपद एटा पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद एटा द्वारा थाना सकीट पर पंजीकृत अभियोग में धारा 394/34 भादवि के अन्तर्गत 03 अभियुक्तों 1–मुरलीधर 2–कैलाश 3–गोविंद को सश्रम आजीवन कारावास व 50–50 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

———